

क्रि.रिवी संख्या 165/2017

रजिस्ट्रेशन संख्या 172/2017

अंकित बनाम सरकार

22.11.2023

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर निगरानीकर्ता अनुपस्थित है, उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 25.08.2017 के द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी किये जाने हेतु आदेशित किया गया है तथा निगरानीकर्ता को उसके संबंध में पैरवी की जानी थी । निगरानीकर्ता द्वारा उक्त संबंध में कोई पैरवी नहीं की गयी है। निगरानीकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक 25.08.2017 के क्रम में विपक्षी पर नोटिस भिजवाना हेतु पैरवी दोनों प्रकार से अन्दर सप्ताह करे ।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 15.12.2023 को पेश हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या 03, गाजियाबाद